सं. ई-12015/1/2015-हिंदी

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

कार्य कक्ष सं. 32020,
दूसरा तल, कर्तव्य भवन-3,
नई दिल्ली-110001

दिनांक : ७ सितंबर, 2026

कार्यालय ज्ञापन

भूमि संसाधन विभाग में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2026 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं विभाग के राजभाषा अनुभाग के कार्मिकों को छोड़कर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों (नियमित कार्मिक/संविदागत/आउटसोर्स/परामर्शदाता/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, आदि सहित) के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार आयोजित की जाएंगी :

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>प्रतियोगिता</th><th>तारीख</th><th>दिन/वार</th><th>समय</th><th>स्थान</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता</td><td>17.09.2026</td><td>गुरूवार</td><td rowspan="8">अपराह्न 02:30 बजे से 04:00</td><td rowspan="8">32000डी सुजलम् सभागार</td><td rowspan="8">किसी विशेष अपरिहार्य स्थिति में आयोजन स्थल, तारीख और समय में परिवर्तन किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद एवं शब्द ज्ञान प्रतियोगिता</td><td>18.09.2026</td><td>शुक्रवार</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता</td><td>21.09.2026</td><td>सोमवार</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता (केवल राजपत्रित वर्ग के लिए)</td><td>22.09.2026</td><td>मंगलवार</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता (केवल एमटीएस श्रेणी के लिए)</td><td>23.09.2026</td><td>बुधवार</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>हिंदी कविता एवं गीत पाठ प्रतियोगिता (केवल स्वरचित)</td><td>24.09.2026</td><td>गुरूवार</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>आशुभाषण (एक्सटेंपोर) प्रतियोगिता</td><td>25.09.2026</td><td>शुक्रवार</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>हिंदी एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता</td><td>28.09.2026</td><td>सोमवार</td></tr>
</table>

02. इन प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कारों को निम्नलिखित चार (04) वर्गों में रखा गया है :-

क्र.सं.	पुरस्कार (संख्या)	धनराशि (रुपये में) प्रति पुरस्कार
1.	प्रथम (01)	5000/-
2.	द्वितीय (01)	3,000/-
3.	तृतीय (01)	2,000/-
4.	प्रोत्साहन (05)	1,000/-

03. प्रतियोगिताएं निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार आयोजित की जाएंगी :-

(i) सभी प्रतियोगिताएं **सुजलम् सभागार** में अपराह्न **02:30 बजे से 04:00 बजे** तक **डेढ़ घंटे** की आयोजित की जाएंगी, तथापि किसी विशेष अपरिहार्य स्थिति में आयोजन स्थल, तारीख और समय में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी।

(ii) सभी प्रतिभागियों के लिए नियत समय से **15 मिनट पूर्व** आयोजन स्थल पर **पहुंचना** अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता आरंभ होने के बाद किसी भी प्रतिभागी को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

(iii) किसी भी प्रतियोगिता में **05 से कम प्रतिभागी** होने पर उस प्रतियोगिता को **निरस्त** कर दिया जाएगा।

(iv) **हिंदीतर प्रतिभागियों** (**जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया, मणिपुरी या असमिया, आदि हो**) को क्र.सं. 8 पर उल्लिखित प्रतियोगिता अर्थात हिंदी एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य सभी प्रतियोगिताओं में **20% वेटेज** दिया जाएगा अर्थात प्राप्तांक पर **20% तक अतिरिक्त अंक** दिए जाएंगे।

(v) विभाग के अधिकारी/कर्मचारी एक से अधिक प्रतियोगिताओं में भाग ले सकतें हैं और एक से अधिक प्रतियोगिताओं में सफल होने की परिस्थिति में उनको **सर्वोत्तम दो (बेस्ट टू) पुरस्कार** ही प्रदान किए जाएंगे। किसी भी प्रतिभागी को दो से अधिक पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(vi) **इन प्रतियोगिताओं के दौरान किसी भी प्रतिभागी को रूल्ड पेपर पर अपना नाम, पदनाम आदि लिखने की अनुमति नहीं होगी। उपस्थिति पत्रक (अटेन्डेन्स शीट) पर उनको एक नंबर दिया जाएगा जो उनका अनुक्रमांक (रोल नंबर) होगा और उसी संख्या को उत्तर-पुस्तिका पर लिखना होगा। पारदर्शिता और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए यह अनुक्रमांक प्रत्येक प्रतियोगिता में (हिंदी कविता एवं गीत पाठ तथा आशुभाषण प्रतियोगिताओं को छोड़कर) स्वतः बदलता रहेगा।**

(vii) इन प्रतियोगिताओं में **मोबाइल फोन** के इस्तेमाल की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रतियोगिता में इस नियम के उल्लंघन पर प्रतिभागी को सभी प्रतियोगिताओं के लिए निरस्त माना जाएगा चाहे वे इस पखवाड़े के दौरान पहले किसी भी प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हों।

(viii) **निबंध प्रतियोगिता** में विषय प्रतियोगिता स्थल पर दिए जाएंगे। प्रतियोगियों को दिए गए पांच (05) विषयों में से किसी एक विषय पर कम से कम 800 शब्दों में तथा अधिकतम 1000 शब्दों में हिंदी निबंध लिखना होगा। प्रतियोगिता हेतु अधिकतम अंक 100 होंगे। उत्तर-पुस्तिका की जांच करते समय विषय-वस्तु की प्रासंगिकता, भाषाई शुद्धता एवं व्याकरण, शैली एवं प्रवाह, लिखावट एवं स्वच्छता आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए उत्तर-पुस्तिका पर प्रतिभागी अपना नाम या प्रभाग/अनुभाग नहीं लिखेंगे, बल्कि उन्हें 'अनुक्रमांक' आबंटित किए जाएंगे।

(ix) **अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद एवं शब्द ज्ञान प्रतियोगिता** में कार्मिक के अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की क्षमता की परीक्षा ली जाएगी जिसके लिए अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए एक-एक अनुच्छेद दिया जाएगा साथ ही शब्दार्थ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्दों, अशुद्ध शब्दों/वाक्यों को शुद्ध करना, आदि का भी समावेश किया जाएगा। प्रतियोगिता हेतु अधिकतम अंक 100 होंगे

(x) **हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता** में दैनिक कार्य में उपयोग में आने वाली कार्यालयी टिप्पणियों, मसौदों, प्रशासनिक शब्दावली, इत्यादि के प्रयोग आदि को शामिल किया जाएगा। प्रतियोगिता के अंक 100 होंगे। प्रतियोगिता में भाषाई शुद्धता, व्याकरण, वर्तनी और वाक्य विन्यास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकारी पत्र, अर्ध-सरकारी पत्र अथवा कार्यालय ज्ञापन के सही प्रारूप के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(xi) **हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता (केवल राजपत्रित वर्ग के लिए) और हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता (केवल एमटीएस श्रेणी के लिए)** में प्रतिभागी को हिंदी अनुच्छेद एवं हिंदी शब्दों को सुनकर लिखना होगा और उसके बाद कम से कम 200 शब्दों में कोई लेख (कोई भी संदेशप्रद कहानी, घटना, इत्यादि) लिखना होगा। प्रतियोगिताओं हेतु अधिकतम अंक 100 होंगे। प्रत्येक वर्तनी की गलती या छूटे हुए शब्द पर 1/2 अंक या 1 अंक की कटौती की जाएगी। साफ और सुपाठ्य लिखावट के लिए अतिरिक्त कुछ अंक (जैसे 5 अंक) निर्धारित किए जा सकते हैं।

(xii) **हिंदी कविता एवं गीत पाठ प्रतियोगिता** मे केवल स्वरचित कविताओं के लिए ही पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा। **कविता पाठ में भाग लेने वाले प्रतिभागी को अपनी कविता की एक प्रति निर्णायकों को उपलब्ध करानी होगी जिस पर स्व-हस्ताक्षर से यह उल्लेख करना होगा कि कविता स्वरचित है और किसी भी समय अगर यह पाया जाता है कि कविता किसी और की है अर्थात स्वरचित नहीं है, तो उस कविता को तत्काल प्रतियोगिता से हटा दिया जाएगा। तथापि अंतिम निर्णय निर्णायकों/राजभाषा अनुभाग का होगा।**

(xiii) **आशुभाषण (एक्सटेंपोर) प्रतियोगिता** के विषय हिंदी भाषा, कार्यालयी संस्कृति, समसामयिक अथवा प्रेरणादायक, आदि विषयों पर आधारित होंगे। **प्रतिभागी को दिए गए लॉट में से एक पर्ची (चिट) उठानी होगी, जिस पर विषय लिखा होगा। विषय की पर्ची उठाने के बाद प्रतिभागी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए न्यूनतम 2 मिनट और अधिकतम 3 मिनट का समय मिलेगा। 2 मिनट पूरे होने पर एकल घंटी (सिंगल बजर) और 3 मिनट समाप्त होने पर दोहरी घंटी (डबल बजर) बजायी जाएगी। भाषण का माध्यम पूरी तरह से हिंदी होना चाहिए। बोलते समय यथासंभव अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के शब्दों के प्रयोग से बचना होगा। प्रतियोगिता के मूल्यांकन के लिए गठित निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।**

(xiv) **हिंदी एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता** 100 अंक की होगी। इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रतियोगिता में राजभाषा अधिनियमों, नियमों, अनुदेशों, आदि से जुड़े प्रश्नों के साथ-साथ दैनिक सामान्य ज्ञान, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण, विश्व एवं भारतीय इतिहास, आदि से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे जिनमें से उपयुक्त विकल्प पर चेक मार्क (√) लगाना होगा। प्रतियोगिता में एक ही प्रश्न के एक से अधिक विकल्प पर चेक मार्क लगे होने पर उस प्रश्न को गलत माना जाएगा चाहे प्रश्न का उत्तर ठीक ही क्यों न हो। इस प्रतियोगिता में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है।

(xv) इन प्रतियोगिताओं के सभी प्रश्न-पत्र राजभाषा अधिकारियों की देख-रेख में तैयार होंगे और उन्हीं की देख-रेख में उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी।

(xvi) प्रश्न-पत्र बनाने और जांच का कार्य एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा और मानदेय के दृष्टिकोण से एक ही माना जाएगा।

(xvii) **इन प्रतियोगिताओं के दौरान प्रतिभागियों को भाग लेते समय यह अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगा कि वे भविष्य में भी हिंदी में कार्य करेंगे/करेंगी और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी नियमों का पूर्ण अनुपालन करेंगे/करेंगी।**

(xviii) उपर्युक्त प्रतियोगिताओं के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आर्थिक सलाहकार (प्रशासन, समन्वय एवं राजभाषा) महोदय का निर्णय अंतिम और सभी को मान्य होगा।

(xix) इन प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण समारोह में प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार की धनराशि विभाग में दर्ज़ उनके बैंक खाते में ई-पेमेंट द्वारा सीधे अंतरित की जाएगी। **ये पुरस्कार सभी प्रतियोगिताओं के लिए एक-समान होंगे।**

04. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक भूमि संसाधान विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपना विवरण इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न प्रपत्र में भरकर राजभाषा अनुभाग को (या ई-मेल hindi-dolr@nic.in पर) दिनांक 03.09.2026 तक अवश्य भिजवा दें।

05. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

1/9/2026
(नरेश कुमार)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 011-24011536

संलग्न : प्रपत्र।

प्रति,

भूमि संसाधन विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारी

प्रतिलिपि :

1. सचिव, भूमि संसाधन विभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी
2. आर्थिक सलाहकार (प्रशासन एवं समन्वय), भूमि संसाधन विभाग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (एलआर), भूमि संसाधन विभाग के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम), भूमि संसाधन विभाग के प्रधान निजी सचिव
5. उप महानिदेशक (पीएमई), भूमि संसाधन विभाग के निजी सचिव
6. विवेक नारायण, उप सचिव (प्रशासन एवं समन्वय), भूमि संसाधन विभाग
7. नोटिस बोर्ड।

प्रपत्र

भूमि संसाधन विभाग में दिनांक 14 से 28 सितंबर, 2026 तक हिंदी पखवाड़ा-2026 के दौरान आयोजित होने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु सूचना

1.	प्रतिभागी का नाम		
2.	पदनाम		
3.	राजपत्रित / अराजपत्रित		
4.	कार्यस्थल / प्रभाग / अनुभाग		
5.	मोबाइल / इंटरकॉम नंबर		
6.	मातृभाषा		
7.	किस राज्य से संबंधित हैं		
8.	जिन प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हों, उसके सामने सही (√) का निशान लगाएं		
	(i)	हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता	
	(ii)	अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद एवं शब्द ज्ञान प्रतियोगिता	
	(iii)	हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता	
	(iv)	हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता (केवल राजपत्रित वर्ग के लिए)	
	(v)	हिंदी श्रुतलेख प्रतियोगिता (केवल एमटीएस श्रेणी के लिए)	
	(vi)	हिंदी कविता एवं गीत पाठ प्रतियोगिता (केवल स्वरचित)	
	(vii)	आशुभाषण (एक्सटेंपोर) प्रतियोगिता	
	(viii)	हिंदी एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	
9.	प्रतिभागी का बैंक संबंधी विवरण		
	(i)	बैंक का नाम	
	(ii)	बैंक का पता	
	(iii)	खाता संख्या	
	(iv)	आईएफएससी कोड	
	(v)	पैन संख्या	

प्रतिभागी के हस्ताक्षर

दिनांक : सितंबर, 2026

संस्तुतिकर्ता/नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर